इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289] भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 जून 2012—आषाढ़ 2, शक 1934

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जून 2012

क्र. डी-5-56-04-चौदह-3.—किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक-डी-5-56-04-चौदह-3, दिनांक 02 मई 2011 से प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों का सामान्य निर्वाचन दिनांक 07 मई 2012 तक की कालावधि के लिए स्थगित किया गया है. वर्तमान में राज्य शासन एवं मण्डी समितियों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के गेहूँ उपार्जन में व्यस्त होने तथा इसके पश्चात् वर्षाकाल प्रारंभ होने एवं तत्पश्चात् रबी की बुवाई में कृषकों के व्यस्त रहने के कारण मण्डी समितियों के सामान्य निर्वाचन निर्धारित अवधि में कराया जाना संभव नहीं है.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 4728, दिनांक 21 मई 2012 में पारित निर्णय के अनुसार मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा राज्य की मण्डी समितियों का साधारण निर्वाचन 08 मई 2012 से 14 नवम्बर 2012 तक की कालावधि के लिए स्थगित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2012

क्र. डी-5-56-04-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 जून 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd June 2012

No. D-5-56-04-XIV-3.—By Notification No. D-5-56-04-XIV-3 dated 2nd May 2011 of the Government of Madhya Pradesh Farmar Welfare and Agriculture Development Department the State Government has postponed the General Election of Market Committees till 07th May 2012. At present it is not possible to hold the election within the stipulated time period due to involvement of field staff in Rabi procurement, subsequent rainy season and subsequently farmers will be busy in Rabi crops sowing.

In accordance to the order passed by Hon. Supream Court in civil appeal no. 4728, dated May 21st 2012, The State Govt., in exercise of the powers conferred under section 57-A of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), hereby postpones the General Election of the Market Committees of the State from 08th May 2012 till the period of 14th November 2012.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANTOSH MISHRA, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.